इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2011—चैत्र 7, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. 9056-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 28 मार्च 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६
(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

म ध य प्र दे श अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३० में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(५) निगम के वार्षिक लेखे पर, अंकेक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत की जाएंगी.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१
(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. सम्पूर्ण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, शब्द "नगर पंचायत" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द "नगर परिषद्" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

(१) निगम के वार्षिक लेखाओं पर संपरीक्षकों की संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजे जाने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ के विद्यमान उपबंधों के समरूप, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ में समुचित उपबंध किया जाना प्रस्तावित है.

(२) यह प्रस्तावित है कि पद "नगर पंचायत" के स्थान पर, शब्द "नगर परिषद्" प्रतिस्थापित किया जाए जिससे इन निकायों को पंचायती राज्य संस्थाओं से विभेदित किया जा सके.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : १६ मार्च, २०११.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ द्वारा निगम के वार्षिक लेखों पर अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8 शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. 2026-116-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 14 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2011

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

PART - I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 of 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

2. In Section 130 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), after sub-section (4) the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) Copies of the audit report of the auditor on annual accounts of the Corporation shall be furnished to the State Government or such other authority as may be specified by the State Government in this behalf.".

PART - II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 of 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

3. Throughout the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), for the words "Nagar Panchayat" wherever they occur, the words "Nagar Parishad" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) certain amendments are proposed. Salient features of the proposed amendments are as under:—

(1) With a view to send the audit report of the auditor on annual accounts of the Corporation, to the State Government, a suitable provision is proposed to be made in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 similar to that of the existing provision in the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

(2) It is proposed to replace the term "nagar parishad" in place of 'Nagar panchayat' so as to distinguish these bodies from the Panchayati Raj Institutions.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED, the 29th March, 2011.

BABULAL GOUR
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.